

**विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल,
मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर**

प्रश्न	उत्तर
3(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव की कोतवाली-बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम-पलिया के गरीब व अनुसूचित जाति के लोगों की चार पीढ़ी पुरानी पैतृक जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने विषयक आपको व जिलाधिकारी, उन्नाव को सम्बोधित सुरेन्द्र मैथानी, विधायक, गोविन्द नगर, कानपुर नगर का पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2023 जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को प्राप्त हुए है ?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो क्या दबंगों द्वारा कब्जा की गयी उक्त चार पीढ़ी पुरानी पैतृक जमीन को खाली कराकर पीड़ितों का कब्जा दिला दिया गया है ?	जी नहीं।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व टीम द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि गाटा संख्या-760 रकबा 0.2150 हे० ग्राम पलिया आबादी के नाम दर्ज अभिलेख है। उक्त गाटा संख्या-760 पुरानी आबादी का नम्बर है। उक्त गाटा संख्या-760 के रकबा 0.0270 हे० रकबे पर जागेश पुत्र विश्राम का पूर्व से कब्जा दखल चला आ रहा है। उक्त गाटे के विवादित जुज भाग के सम्बन्ध में, जिसको प्रार्थी स्वयं की पुरानी पैतृक जमीन बता कर विपक्षी द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया गया है, उस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण एवं ग्रामवासियों व ग्राम प्रधान के बयान द्वारा बताया गया कि कब्जा दखल नहीं रहा है तथा प्रकरण पुरानी आबादी से सम्बन्धित है जिसका निराकरण राजस्व संहिता से सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थी को आबादी भूमि होने से अवगत करा दिया गया है कि आबादी भूमि होने के कारण प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।